

3/12/24

पञ्जावली पेशा है। कृषक को नारी कन्डोले के कार्य स्थिति के वरत कार्यवाही नहीं की जा सकती। पञ्जावली दिनांक 5/12/24 पेशा हो

5/12/24 पञ्जावली पेशा। ग्रामी एवं ग्रामी अधिवक्ता अनुपस्थित। बार-बार शवाज लगवाने पर भी धाजिट नहीं। इससे स्पष्ट है इक्ट गठपत्र अन्तर्गत धारा (22) आर.टी.एक्ट को ग्रामी व ग्रामी अधिवक्ता अज्ञात नहीं करना चाहते हैं।

अतः गठपत्र धारा (22)

अद्वय धाजली - अद्वय पैली में खातिज किया जाता है।

पञ्जावली दर्ज नम्बर से कम

धोकर हादिल एक्ट है/७
उपरखण्ड अधि...
बस्ती जिला-जयपुर